



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 824)

Name of Candidate	KANCHAN KUMAR KANDPAL		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	26216
Center	MN	Date	21/10/2016

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH. इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Rights-based approach to social policy, which has rippled through India over the past decade and a half, reorients governance from ideas of patronage towards duty of the state and justified claims of citizens. Discuss with examples. Also, explain how the rights-based approach helps in improving public service delivery.

'सामाजिक नीति के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण', जिसने पिछले डेढ़ दशकों से भारत को आंदोलित किया है। शासन को संरक्षण के विचारों से पुनः राज्य के प्रति कर्तव्य तथा नागरिकों के न्यायोचित अधिकारों की ओर ले जाता है। दृष्टान्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करें। इस बात की भी व्याख्या करें कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में किस प्रकार सहायता करता है?

अधिकार आधारित दृष्टिकोण, सामाजिक नीति की वह प्राविधि है, जिसमें संवैधानशील वर्ग के उत्थान का कार्य करना, उन्हें समानता के अवसर उपलब्ध कराना राज्य की अनुकंपा नहीं, बल्कि राज्य का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। यह संवैधानशील वर्ग को समान स्तर पर देखकर उन्हें सहानुभूति का नहीं, बल्कि उनके प्रति समानुभूति का भाव रखता है।

पिछले डेढ़ दशक में भारत में तमाम सामाजिक आंदोलनों में अधिकार आधारित दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी गई है—

- ① समाथा गाइडलेंस के तहत जमजमियों के प्रति 'पहले पुनर्वासि, फिर विकास' का भाव।

11) बाल एवं महिला-अधिकारों में सहानुभूति पूर्ण योजनाओं की जगह उत्तरजीविता विकास, सहभागिता, संरक्षण के सिद्धान्तों की मान्यता देना,

(जो 2013 की राष्ट्रीय बाल अधिकार नीति व नई प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला नीति में भी परिलक्षित होता है)

111) दलित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लिए सकारात्मक कार्यवाही को समर्थन,

112) नि:शक्तजनों के आरक्षण व सुगम्य भारत जैसे अभियानों द्वारा उनके लिए सुविधाओं को अनिवार्य बनाना

~~कारणों के~~

अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के कारण भारत के सामाजिक प्रगति सूचकांक में वृद्धि हो रही है तथा सरकार/राजनीतिक दलों के लिए भी ऐसे कार्य महज ध्यानाश्रति न बनकर स्वयं उनकी कार्ययोजनाओं व धोषणापत्रों का हिस्सा बन रहे हैं।

सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सहायता

113) लाभार्थी (अवैदमशील) का स्वयं ही सेवा

- के प्रति जागरूक बनता है,
- ① सरकारी मशीनरी प्रदाता के स्थान से हटकर सेवक की तरह कार्य करती है,
- ② इस दृष्टिकोण से संवेदनशील वर्ग के प्रति कार्य, नैतिक नहीं बल्कि कानूनी दायित्व प्राप्त करते हैं,
- स्पष्टता अधिकतर आधारित दृष्टिकोण ने शासन वर्ग की चेतना को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है, जिसके बकारात्मक परिणाम निरंतर सामने आ रहे हैं,

2. Despite high enrolment in Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), out-of-pocket expenditure on health has steadily increased over the years. In this context, highlight the achievements and shortcomings of RSBY. Also, discuss the challenges faced in its implementation.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) में उच्च नामांकन (इनरोलमेंट) के बावजूद, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में वृद्धि हुई है। इस सन्दर्भ में, आर.एस.बी.वाई. की उपलब्धियों तथा कमियों पर प्रकाश डालें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा, असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वास्थ्य बीमा हेतु प्रारंभ की गई योजना थी। जिसके तहत संघीय परिवार को 30,000 ₹ तक के स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

किंतु हालिया वर्षों में यह तथ्य उभरकर आया है कि स्वास्थ्य पर खर्च में तीव्र वृद्धि हुई है। यह भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की विडम्बना ही है कि प्रतिवर्ष एक बड़ा वर्ग केवल स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के महंगे होने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के

कम दक्ष होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुर्चों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

RSBY की उपलब्धियाँ -

- ① एक बड़े गरीब तबके तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ी है।
- ② स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड की उपलब्धता के कारण गरीब तबका आकास्मिक स्वास्थ्य सर्च कहन कर पाने में सक्षम हुआ है।
- ③ गरीब परिवारों में भी स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य पर सर्च को लेकर जागरुकता बढ़ी है।

कमियाँ -

- ① व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में बड़ा वर्ग अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से अज्ञात है।
- ② गरीबी रेखा से ठीक ऊपर के वर्ग को यह सम्मिलित नहीं करती जबकि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से यह वर्ग भी अति वैदिकनशील है।
- ③ प्राथमिक चिकित्सा को ही केंद्र में रखा गया है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ -

- ① अस्पतालों में डॉक्टर, बेड, स्वास्थ्य उपकरणों आदि संरचना का अभाव
- ② योजना के तकनीकी पहलुओं के प्रति लाभार्थियों में अनभिज्ञता,
- ③ स्वास्थ्य क्षेत्र पर GDP का केवल न्यून अंश ही खर्च किया जाता है।

स्पष्टतः RSBY, उच्चतम वक्रेण्ड उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई योजना है, जिसका वास्तविक लाभ लेने के लिए इसे अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

3. Unhealthy competition between Self Help Groups (SHGs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) reduces the effectiveness of both. Discuss. How can creating a synergy between the two help in addressing development challenges at the sub-district level?

स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) तथा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दोनों की प्रभाविता को कम करती है। चर्चा करें। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने से उप-जिला स्तर पर विकास की चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है?

वर्तमान चुनौतियाँ -

- ① दोनों ही संस्थाएँ स्वयं-को जमता का वास्तविक प्रतिनिधि मानती हैं;
- ② किंतु संसाधन आवंटन से लेकर क्रिया-कथन तक में परस्पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- ③ परिणामतः दोनों की ही प्रभावशक्ति में गिरावट देखने को मिलती है।
- ④ यही कारण है कि भारत में अतः स्वयं सहायता समूह वास्तविक विकास प्राप्त कर पा रहे हैं, न ही पंचायती संस्थाएँ वास्तविक प्रतिनिधि बन पाई हैं।

सामंजस्य के लाभ -

- ① पंचायत से प्राप्त वित्तीय लाभ का समतामूलक वितरण, स्वयं सहायता समूह संभव बनाएँगे।
- ② समूह द्वारा उठाई गई मांगों को पंचायती संस्थाएँ विधिक रूप प्रदान करेंगी,
- ③ महिलाओं की पंचायती संस्थाओं में विधिक जागीदारी के माध्यम से दृष्टिकोण को स्वयं सहायता समूह धरातल/व्यवहारिक रूप में संभव बना पाएँगे।

निष्कर्ष - स्पष्टता दोनों संस्थाओं का आपसी सामंजस्य ही अंतिम व्यक्ति तक न्याय को संभव बना पाएगा।

4. With an expected increase in old age population in the near future, there is a need to increase the ambit and reach of social safety net for their welfare. Discuss the challenges which policymakers face in design, development and execution of welfare measures for the elderly. How far do the recent measures taken by the government address these?

निकट भविष्य में वृद्ध आबादी में अनुमानित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, वृद्ध जनों कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे को बढ़ाने और इस तंत्र की पहुँच उन तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नीति-निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही उन प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए जो बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना, विकास और उनके क्रियान्वयन से संबंधित हैं। सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम इन चुनौतियों का किस हद तक समाधान करते हैं?

वर्तमान में जनसांख्यिकी लाभार्थ में सर्वश्रेष्ठता का लाभ ले रहा भारत २०५० के पश्चात वृद्धों की सर्वाधिक संख्या वाला देश बन जाएगा, जैसे में वृद्धों के कल्याण को संभव बनाने के लिए आज से ही कुछ स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है —

योजना निर्माण, क्रियान्वयन में आवेधी चुनौतियाँ

- ① वृद्ध वर्ग के प्रति सामाजिक, मनसिद्धि, संवेदनशीलता का पर्याप्त विकास अब तक नहीं हो पाया है।
- ② वृद्धों के कल्याण हेतु वर्तमान तक कोई भी राष्ट्रीय नीति नहीं बन पाई है।

- ③ उचित सामाजिक सुरक्षा तंत्र व नीतियों का अभाव है।
- ④ भारतीय परंपरागत दृष्टिकोण का इतना तीव्र सामाजिकरण हो चुका है कि वृद्ध समुदाय को द्वितीय अपेक्षाओं में देखा जाता है, परिणामतः उनके सहज आवश्यकताओं के अधिकारों के लिए कोई भी नीति नहीं है।
- ⑤ वृद्ध महिला (जो कि पूर्व में रोजगार में नहीं थी) के सामने सर्वाधिक बड़ा संकट है।
- ⑥ वृद्धों की सेवा के लिए कार्य करने वाले स्नानियों व अन्य संगठनों की नीतियों / प्रबंधन में सक्ता व कामजस्य का अभाव है।

वर्तमान प्रयासों की भूमिका -

- ① वृद्धों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाओं का अभाव है, (हालांकि इनकी न्यून पहुँच एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।)

② अटल पेंशन योजना, आदि बलनिर्मित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जीड़प भावी वृद्ध वर्ग की सुरक्षा के प्रयत्न किये जा रहे हैं;

③ नई स्वास्थ्य बीमा योजना में वृद्ध वर्ग के लिए अतिरिक्त 30,000 रु का प्रावधान उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,

स्पष्टतः नव-प्रयत्नों को वृद्ध वर्ग की उन्नति के प्रयत्न हो रहे हैं, इन्हें अधिक प्रभावी, कुशल बनाने की आवश्यकता है,

5. Civil Society Organizations and Corporates share a symbiotic relationship, which can be leveraged to meet the developmental needs of India. Analyze. Also enumerate the CSR provisions under Companies Act, 2013.

नागरिक समाज संगठन तथा कॉर्पोरेट के सहजीवी संबंध, भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में लाभदायक हो सकता है। विश्लेषण करें। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर. संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करें।

विशाल जनसंख्या, आर्थिक संसाधनों का अभाव, सर्वोदयशील वर्ग की वृहत् उपस्थिति एवं तीव्र व समावेशी विकास की मांग; राज्येतर संस्थाओं की उपस्थिति को अनिवार्य बनाती है, इस कारण नागरिक समाज संगठन व कॉर्पोरेट के सहजीवी संबंधों की भूमिका स्वयमेव बढ़ जाती है, परस्पर संबंधों से लाभ -

- ① कॉर्पोरेट घरानों के पास उपस्थित विकासोत्सुक आर्थिक संसाधनों का उचित व दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने में नागरिक समाज प्रमुख भूमिका निभा सकता है,
- ② नागरिक समाज संगठन के व्यापक क्षेत्रीय प्रसार व समर्पित कार्यकर्तृओं का लाभ अपनी विकासोत्सुक गतिविधियों के प्रसार में लगा सकते हैं,

- iii) आम जनसमुदाय के मध्य नागरिक समाज संगठन की सकारात्मक दृष्टि की प्रभावी उपयोगिता हो सकती है।
- iv) कॉर्पोरेट वर्ग की संसाधन व्युत्पत्ता का लाभ आम जनसमुदाय तक पहुँचाने में नागरिक समाज संगठन प्रभावी हो सकते हैं।
- v) स्वयं-कॉर्पोरेट समूह द्वारा क्लाइंट चैन के संगठनात्मक ढाँचा तैयार करने में होने वाला धन व समय का अपव्यय भी रुकेगा, परिणामतः अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

सी० एस्० आर० प्रावधान -

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत -
- "जिस कंपनी का -
- (A) कुल टर्नओवर 1000 करोड़ ₹ से अधिक हो, या
- (B) कुल संपत्ति मूल्य 500 करोड़ ₹ से अधिक हो,
- वह अपने तीन वर्षों के औसत

लाभ का २% , सामाजिक कर्मी में
लगाएगा,

- इस धनराशि को कर उन्मुक्ति प्राप्त
होती है,

- दो या दो से अधिक कंपनी आफिस
में मिलकर भी सीरु एसओ अरु
वातिविधियों को संचालित कर सकती
है।

6. According to a recent WHO report, India sees the largest number of suicides globally. In this context, enumerate the objectives and approach of India's new National Mental Health Policy. Also, explain what is Mental Health Action Plan 365.

हाल की डब्ल्यू.एच.ओ. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सर्वाधिक आत्महत्याएं भारत में होती हैं। इस संबंध में, भारत की नवीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोणों का उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 365 के संबंध में विस्तार से बताएं।

7. Urban sanitation has not received adequate attention at the national level in the past and few initiatives have been taken to tackle deficiencies in urban sanitation. In light of this, examine whether the Swachh Bharat Abhiyan can help in solving the urban sanitation problem.

अतीत में राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तथा शहरी स्वच्छता में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए कुछ ही कदम उठाए गए थे। इस कथन के आलोक में इस बात का परीक्षण करें कि क्या स्वच्छ भारत अभियान शहरी स्वच्छता की समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है?

भारत ने 1970 के दशक के पश्चात तीव्र शहरीकरण का दौर देखा है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में हुए तीव्र प्रवासन ने शहरों के अप्रियोगिता प्रसार को बढ़ावा दिया, परिणामतः न तो शहरी विकास व न ही शहरी स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, फलस्वरूप भारतीय शहर स्वच्छता मानकों के हिसाब से पिछड़े चले गए। शहरी स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों का प्रभावकारी परिणाम नहीं आया -

- ① तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिस शहरी विकास की संकल्पना रखी गई थी, उसे शहरी स्वच्छता का पद नकार दे दिया।
- ② स्वल्प पुनर्वासि के अनेक प्रयास हुए किन्तु तमाम बड़े शहरों के साथ

स्लम क्षेत्र के प्रसार को रोकने की नीति कारगर नहीं हुई।

③ बुले में शौच से मुक्ति जैसे अभियानों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण निर्मल ग्राम जैसी योजनाएँ शहरों में स्थापित नहीं हो पाईं।

④ ठोस अपशिष्ट, धरेलू कचरा प्रबंधन जैसे उपायों व तकनीकों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

बचक भारत अभियान की भूमिका-

① इस अभियान ने शौचालय निर्माण की मानक गरिमा से जोड़कर प्रभावी परिणाम प्रदान किया है।

② लगभग 100% विद्यालय शौचालय मुक्त हो गए हैं।

③ ठोस कचरा प्रबंधन आदि के प्रति जागरूकता के साथ कानूनी उपायों को सम्मिलित कर प्रभावी कदम उठाया है।

④ आस-पास की स्वच्छता को प्यापित महत्व देते हुए इसे अभियान का रूप देकर प्रभावोत्कक कार्य सम्पन्न हुआ है,

स्पष्टतः व्यापक प्रचार-प्रसार जागरूकता, स्वच्छ भारत रैकिंग आदि नवाचारों के प्रयोग ने शहरी स्वच्छता के प्रति नया दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जो निश्चित रूप से एक सुगन्तकारी परिवर्तन साबित होगा।

8. There is a need to move away from debates of 'public' versus 'private' provision of education towards models of education provision with public funding and private management. Discuss. Can such a move impact the quality and learning outcomes in elementary education?

अब शिक्षा के सार्वजनिक बनाम निजी प्रावधान संबंधी बहसों से आगे, सार्वजनिक वित्तीय सहायता तथा निजी प्रबंधन संबंधी प्रावधान वाले शैक्षिक प्रतिदर्शों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। चर्चा करें। क्या इस प्रकार का कदम प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा सीखने (अधिगम) की प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित कर सकता है?

वर्तमान में संसाधनों पर बढ़ते दबाव, अकृष्टता की बढ़ती मांग, तथा तीव्र विकास की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्व प्रथम सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा की बहस से आगे समकित प्रयासों की तरफ देसती है।

① सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय सहायता संसाधनों की तुरन्त उपलब्ध करारणी।

② निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करेगी।

③ वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मियों के अभाव की समस्या

के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र प्रभावी
भूमिका निभा सकता है।

⑩ निजी क्षेत्र की नवोन्मेषी शिक्षण
तकनीकें विशिष्ट रूप से लाभदायक
साबित हो सकती हैं।

⑪ सहजता प्राप्त निजी विद्यालयों
के माँडल की सकलता भी
इसकी उपयोगिता व आवश्यकता
को सिद्ध करती हैं।

पारंपरिक शिक्षा पर प्रभाव -

① निजी क्षेत्र के नवोन्मेषी तरीकों
से भीषण मजबूत होगी।

② निजी क्षेत्र के मानव संसाधन
के प्रभाव से दक्ष शिक्षक
अनुपात सुधरेगा।

③ कार्वजिनिक अपसंवेचना के
'कुशल प्रयोग से निजी क्षेत्र
न्यूनतम में अधिकतम परिणाम

उपलब्ध कराएगा।

निष्कर्ष - स्पष्टतः अन्य क्षेत्रों के
पीपीपी मॉडल के समान

यह एक आकर्षक कदम साबित
होगा, जो निश्चित रूप से शिक्षा
के क्षेत्र व गुणवत्ता को सुधारेगा।

9. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) bill recently passed by the Parliament is a regressive step towards protecting child rights in India. Examine.

हाल ही में संसद द्वारा पारित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक भारत में बाल अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है। परीक्षण कीजिए।

हाल में पारित किशोर न्याय विधेयक को अनेक कानूनविदों के साथ-साथ बाल-अधिकार संरक्षकताओं ने एक प्रतिगामी कदम बताया है, जिसके निम्न तर्क दिए गए हैं-

- i) यह बाल-अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के विरुद्ध है, जो 18 वर्ष तक बच्चे को अपराधी नहीं मानता,
- ii) यह सुधारात्मक के बजाय दण्डात्मक न्याय की तरफ प्रवृत्त कानून लगता है,
- iii) चूंकि अधिकांश बाल अपराधियों का संदर्भ समाज व परिस्थितियों ही प्रतिकूल होती है, अतः यह फॉयड के सिद्ध सामूहिक-आयनामिक सिद्धांत के विपरीत जाता दिखता है,
- iv) कानूनी दृष्टि से भी यह POCSO

अधिनियम व अनुच्छेद 20(1) [भारतीय संविधान] से लंबे रहता है।

(v) यह अपराध के प्रति केन्द्रित है, न कि सुधार के प्रति,

किंतु इस अधिनियम की पूर्णतः बाल अधिकारों के विरुद्ध बताना आधा सत्य ही होगा, वास्तव में-

(i) बाल अपराधियों की संख्या में पिछले 10 वर्षों में (300)% की दर से वृद्धि हुई है,

(ii) इस कानून में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ-साथ प्रथम दृष्टया व्यक्ति (बच्चे) को अपराधी न मानना शकारात्मक कदम है,

(iii) NGO तथा महिला वकील द्वारा बाल सुधारगृहों की जांच का प्रावधान एक प्रभावी कदम साबित होगा,

(iv) किसी भी स्थिति में उम्रकैद व मृत्युदंड का प्रावधान न करवा

इसके आधुनिक दृष्टिकोण का परिष्कार है।

स्पष्टतः इस अधिनियम की
असूक्ष्म और आलोचना प्रभावी तरीक
नहीं है। वस्तुतः यह कानून समय
की मांग के अनुरूप एवं कानूनविदा
में व्यापक विचार के बाद जन्मा
है, अतः इसे प्रभावी व सकारात्मक
स्वीच के साथ यदि क्रियान्वित किया
जाए तो यह एक मील का पथर
साबित होगा।

10. "In a nation of one billion cell phones, M-governance or mobile governance has the potential to make development a truly inclusive and comprehensive mass movement". Illustrate how M-government can bring in more transparency and accountability in government functioning. Also, discuss the challenges in implementing M-government.

"एक अरब सेल फोन वाले देश में एम-शासन या मोबाइल शासन में, विकास को वास्तविक रूप में समावेशी तथा व्यापक जनांदोलन का रूप प्रदान करने की क्षमता है।" दृष्टांत के साथ व्याख्यायित करें कि एम-शासन किस प्रकार सरकार के काम-काज में और अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व ला सकता है। इसके अतिरिक्त, एम-शासन के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

वर्तमान समय में सेवाओं की तेज़ी
मांग, तकनीक के बढ़ते दक्षता
के निरंतर जागरूक होते समाज
की प्रशासित करने में मोबाइल
शासन की एक प्रभावी भूमिका
है।

- ① यह एक विस्तृत वर्ग तक सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम है,
- ② एम शासन के द्वारा कम समय में सेवा प्रदान की जा सकती है।
- ③ इसके लिए अधिक / अनावश्यक अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है।

इस प्रकार यह प्रभावी क्षमता रखता है, साथ ही एक उत्तरदायी क

पारदर्शी शासन के निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा -

① सभी सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होने से पारदर्शिता में स्वयंसेव वृद्धि होगी,

② शम. शासन, सेवा की समयबद्ध मांग को सुनिश्चित व प्रभावी बनाकर शासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है,

③ पटल, मनरेगा जैसी योजनाओं में शम. शासन के प्रयोग ने इसकी संभावनाओं के विस्तृत आयामों को प्रदर्शित किया है,

धुनोंतियाँ -

① इंटरनेट की सीमित पहुँच,

② कर्मचारी वर्ग में तकनीक के प्रति अनिच्छा का भाव,

③ लोगों में तकनीक व क्रियाविधी के प्रति जागरूकता व ज्ञान में कमी,

④ परंपरागत कर्मचारी वर्ग द्वारा बर्बाद

का अधीनस्थ विरोध,
 (1) सभी सूचनाओं के डिजिटलीकरण
 का अभाव

निश्चित रूप से सम. शासन
 स्तरों में व्यापक संभावनाएँ रखता
 है, आवश्यकता है इसे अधिक
 व्यापक व प्रभावी बनाने की,
 जो शासन व जनता के आपसी
 सहयोग से ही संभव होगा।

11. The Rights of the Persons with Disabilities Bill, 2014 fails to adopt United Nation Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD) in its true spirit. Examine. Also, highlight the recent suggestions made by the Standing Committee on Social Justice and Empowerment in this regard.

निःशक्तजन अधिकार विधेयक-2014, निःशक्तजनों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) को सही अर्थों में अपनाने में विफल रहा है। परीक्षण करें। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण से संबंधित स्थायी समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों पर प्रकाश डालें।

निशक्तजन अधिकार विधेयक - 2014

- ① विकलांगता की श्रेणियों को 8 से बढ़ाकर 19 किया जाएगा,
- ② केंद्र, राज्य तथा पंचायत तीनों स्तर की सरकारों के प्रयत्न होने चाहिए कि निशक्तजनों को और तमाम अधिकार प्राप्त हों।
- ③ निःशक्तजनों की, पुस्तक को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाएं, (आवजनियुक्त)

आलोचना -

तमाम अधिकारविदों ने इस कानून को असफल घोषित किया है -

- ① अधिकार आधारित दृष्टिकोण को वास्तविक स्थान नहीं देता है।

② सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को अनिवार्य नहीं बनाता है,

③ संयुक्त राष्ट्र की विकलांगता संबंधी सूची के अनुरूप सभी पक्षों को सम्मिलित नहीं करता है

स्थायी समिति के सुझाव -

① विकलांगता की श्रेणी को सुपरिभाषित किया जाय,

② स्कूल, कॉलेज व कार्यालयों वगैरे में विकलांग व्यक्तियों के माध्यम सुनिश्चित किये जायें,

निष्कर्ष -

स्पष्टतः निशक्तजन अधिकार अधिनियम - 2014 एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसे अधिक प्रभावी अधिकार आधारित व समावेशी बनाने की आवश्यकता है

12. An empowered Gram Sabha is the bedrock of successful local governance. In this context, analyse the role of Gram Sabha as a pillar of development. What steps can be taken to strengthen their functioning?

एक सशक्त ग्राम सभा सफल स्थानीय शासन का आधार है। इस संदर्भ में, विकास के एक स्तंभ के रूप में ग्राम सभा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उनके कामकाज को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

महात्मा गाँधी ने अपने आदर्श समाज की संकल्पना में कहा था — "मेरे सपनों के भारत में ग्राम सभा सर्वाधिक सशक्त व प्रभावी शासन की इकाई होगी, विकास में ग्राम सभा की भूमिका

- ① स्थानीय आवश्यकता के अनुसार मांग को उठाती है,
- ② सभी वर्गों का प्रातिनिधिक होने से समावेशी शासन,
- ③ आम बैठकों के आयोजन से सर्वमान्य निर्णय,
- ④ स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग,
- ⑤ पैयजल, विद्यालय (प्राथमिक) जैसे स्थानीय व मूलभूत आवश्यकताओं

को वास्तविक रूप में उठाती है।

(VI) ग्रामीण स्तर पर वैधता वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है।

(VII) स्थानीय अवेदनशिलताओं को ध्यान में रखकर ही नीति निर्माण का प्रस्ताव

(VIII) लोकतंत्र की मजबूती का प्रथम स्तंभ

(IX) संसाधनों के समतामूलक वितरण की मूलभूत ईकाई

सशक्तीकरण हेतु सुझाव -

(i) ग्रामीण जनसमुदाय को कार्यशालाओं आदि के माध्यम से लोकतंत्र के प्रति जागरूक किया जाए।

(ii) ग्रामसभाओं को तकनीक के स्तर पर सशक्त किया जाए।

(iii) राज्य सरकारों को चाहिए कि ग्राम सभाओं को अधिकार हस्तान्तरण में देजूसी न करे

(10) स्थानीय संसाधनों पर समग्र अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया जाए,

यदि उपर्युक्त बिंदुओं को प्रभावी तरीके से अमल में लाया जाए तो निश्चित रूप से 73 वे संशोधन की उद्देश्यपरकता सिद्ध होगी।

13. The recent amendments to Child Labour Act seek to strike a balance between the need for education of a child and the reality of the socio-economic conditions. Critically evaluate.

बाल श्रम अधिनियम में हाल में किये गए संशोधनों का उद्देश्य किसी बालक की शिक्षा की आवश्यकता तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति की वास्तविकता में संतुलन स्थापित करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

हाल में सरकार द्वारा बालश्रम अधिनियम को सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया है, जिसका लक्ष्य इन स्थितियों में शिक्षा की आवश्यकता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।

प्रावधान—

① भारत में अभी भी ऐसे व्यवसाय हैं, जो परिवार के स्तर पर संचालित होते हैं।

② ऐसे व्यवसाय परंपरागत होते हैं व बचपन से ही कुशल प्रशिक्षण (सहभागिता) की मांग करते हैं।

③ भारत में अनेक परिवारों में उच्च शिक्षा की पर्याप्त प्राप्ति के लिए तथा परंपरा के बने रहने के लिए बच्चों की इन व्यवसायों में सहभागिता को फणनीय नहीं माना जा सकता।

10) खेलकूद में लड़के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर एवं मनोरंजन उद्योग की आवश्यकता व वर्तमान रुचियाँ, बच्चों की इनमें सहभागिता की मांग रुझती है।

11) उपर्युक्त कारणों से ही 19 वर्ष तक के बच्चों के पारिवारिक व्यवसाय के साथ साथ, खेलकूद प्रशिक्षण व मनोरंजन उद्योग में प्रतिभागिता को वैध बनाया गया है।

12) किंतु इसकी शक्ति में शिक्षा के अधिकार को दोड़ा नहीं जा सकता इन कारणों से बच्चों की सहभागिता विधायी शिक्षा के बाप ही होती स्पष्टता यह कानून दोनों में संतुलन साधने का कुशल समास है।

आलोचना

1) परिकार की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है।

- ii) बच्चे के खेल रूप व मनोरंजन की
अविवार्य शर्त नहीं रखी गई है।
- iii) शिक्षा के आधिकांश को भारत
में विद्यालय जाने का आधिकांश
मान लिया गया है।

निष्कर्ष - अतः आवश्यकता है कि
इसके जागरूक व कुशल
क्रिया-कर्म को सुनिश्चित किया
जाए ताकि गलत पक्ष, इसका
अनैतिक कामकाज न उठे ,

14. Give an account of the features of 'Housing for All by 2022' mission. Also, discuss the challenges that lie ahead in its implementation.

"2022 तक सबके लिए आवास मिशन" की विशेषताओं का विवरण दें। इसके कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें।

यह वर्तमान सरकार के आधुनिक
संरचना कार्यक्रमों में से एक
है। इसके तहत—

① स्लम क्षेत्र के पुनर्वासि के
कार्य होंगे, ताकि स्लम क्षेत्र
में रहने वाले लोग पर्याप्त घर
प्राप्त करें,

② निम्न आय वर्ग के लोगों
की सरकारी सहायता प्रदान
की जाएगी, ताकि वे आवास
सुनिश्चित कर सकें,

③ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर
नई आवास वस्तुओं का निर्माण
किया जाएगा,

उपर्युक्त प्रयासों के सम्मिलित
प्रभाव से 2022 तक सबके लिए
आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने

का सरकार का विजय है,

प्रमुख चुनौतियाँ-

- ① योजना के क्रियान्वयन के लिए
मिल का प्रबंधन,
- ② पुरानी योजनाओं की असफलता
की परंपरा से बाहर निकलकर
आम वर्ग को तैयार करना,
- ③ क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य
समन्वय का अभाव,
- ④ निवेशकों की खोज,
- ⑤ समय की सीमित उपलब्धता
वास्तव में एक प्रमुख चुनौती
साबित होगी,
- ⑥ लाभार्थियों की पहचान का संकट
भी प्रमुख चुनौती बनकर उभरेगा,

निष्कर्ष-

स्पष्टतः यह योजना आधुनिक
भारत के निमित्त में एक मील की

पत्थर को खित होगी,

15. Enumerate the directives laid down by the Supreme Court for police reforms in the Prakash Singh case. Discuss the challenges faced in implementing these reforms.

प्रकाश सिंह वाद में पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख करें। इन सुधारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

16. What is E-Kranti? How is it an improvement over National e-Governance Plan? Discuss the challenges foreseen in the implementation of E-kranti.
ई-क्रान्ति क्या है? यह किस प्रकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना का परिष्कृत रूप है? ई-क्रान्ति के कार्यान्वयन संबंधी पूर्वानुमानित चुनौतियों की चर्चा करें।

शासन-प्रशासन की वह स्थिति जब सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ, सेवाओं का भुगतान/सेवाप्रदान करना आदि डिजिटलीकृत रूप में होने लगे, तो यह ई-क्रान्ति के काम से जाना जाता है।

वस्तुतः राष्ट्रीय ई-शासन योजना २००७ में प्रस्तावित एक विचार था, जिसमें प्रशासन के अधिकांश अंगों को डिजिटलीकृत रूप में संयोजित करना तथा सेवा प्रदान करने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का अत्यधिक प्रयोग करना उद्देश्य घोषित किया गया था।

ई-क्रान्ति योजना इसका ही विस्तृत व सार्वभौमिकृत रूप है, जिसके अंतर्गत शासन-प्रशासन का हर इकाई इंटरनेट के माध्यम से

डिजिटल रूप में प्रस्तुत होती है, तथा उपभोक्ता वर्ग को प्रत्येक सुविधा इसी रूप में प्राप्त होती है।

पूर्वाभुमानित चुनौतियाँ

- ① अवसरचनात्मक ढाँचे का अभाव
- ② प्रशासक वर्ग में परिवर्तन के प्रति उदासीनता,
- ③ इंटरनेट सुविधा की तीव्रता व प्रसार का निम्न स्तर।
- ④ वर्तमान में सभरी आँकड़ों, सामग्री के पूर्ण-डिजिटलीकरण का अभाव
- ⑤ आम जनमानस में जागरूकता का अभाव।

निष्कर्ष - ई-क्रान्ति की वास्तविक सफलता जागरूक व प्रतिभागी समाज के द्वारा ही संभव होगी, अतः डिजिटल शिक्षा

के प्रयासों के द्वारा ही इसकी सफलता
सुनिश्चित होगी।

17. Some provisions of Official Secrets Act, 1923 go against the spirit of Right to Information. Explain. In this context, examine whether this necessitates repealing of the Official Secrets Act.

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कुछ प्रावधान सूचना के अधिकार की भावनाओं के विरुद्ध हैं, व्याख्या करें। इस सन्दर्भ में, इस बात की जांच करें कि क्या इसके लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है?

सरकारी गोपनीयता अधिनियम - 1923
वस्तुतः ब्रिटिशकालीन कानून है,
जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस
को राजकीय क्रियाकलापों की
सूचना से दूर रखना था। और
वस्तुतः आज भी यह वही कार्य
कर सूचना के अधिकार की प्राप्ति
की दिशा में सर्वाधिक प्रमुख
बाधा बनकर उभरा है।
सूचना के अधिकार के
अनुच्छेद 8(2) में स्पष्ट प्रावधान
है कि राज्य के क्रियाकलाप के विरुद्ध
प्रयोग हो सकने वाली किसी
भी सूचना को देने से मना
किया जा सकता है। इसी प्रावधान
को शासकीय गोपनीयता अधिनियम
- 1923 के सहारे प्रयोग कर सूचना

के प्रसार को रोकने का काम किया जाता है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भी शासकीय गोपनीयता अधिनियम को सूचना के अधिकार की दिशा में प्रमुख बाधा बताया गया है।

वर्तमान आवश्यकता—

- i इस अधिनियम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के साथ जोड़कर इसके अवैध प्रयोग को रोक किया जाए,
- ii प्रशासक वर्ग को चाहिए कि वह गोपनीयता की जगह शासकीय पारदर्शिता की शपथ लें,
- iii सूचनाओं के ऑनलाइन प्रकटीकरण को बढ़ाकर ऐसे गोपनीय कार्यों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

स्पष्टतः ईमानदार प्रयासों से ही
सूचना का अधिकार वास्तविक दर्जा
प्राप्त कर पाएगा।

② यह प्रक्रिया एकपक्षीय है, अर्थात् प्रशासक वर्ग पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता,

③ स्वव्योषित व तर्कहीन मीडिया ट्रामल, तथा सामाजिक लेखांकन की बाढ़ ने लोगों के मन में इसके प्रति नकारात्मक भाव को ही जन्म दिया है।

सुझाव (भाविष्य हेतु रणनीति) -

① सामाजिक लेखांकन पर प्रशासक वर्ग की जवाबदेहिता को अनिवार्य बनाया जाए,

② इसकी प्राविधि व प्रक्रिया को सुनिश्चित कर स्पष्ट किया जाए,

③ तर्कहीन लेखांकनों को कम करने के लिए जुमना जैसी व्यवस्था की जाए।

④ लोगों के जागरूकता स्तर में वृद्धि की जाए।

निष्कर्ष — सामाजिक लोक्यों की वही
परंपरा, विकसित होते समाज
का लक्षण है, इसे निरंतर पोषित
कर ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज
का निर्माण सम्भव हो पाएगा,

19. Nutrition status is linked to non-nutrition factors. In light of this statement, examine why despite a fast growing economy and the largest anti-malnutrition programme, India has the world's worst level of child malnutrition. What steps has the Government taken to tackle the malnutrition problem in India?

पोषण की दशा का सम्बन्ध गैर-पोषण कारकों से है। इस कथन के आलोक में, इस बात की परख करें कि तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था तथा सबसे बड़े कुपोषण-रोधी कार्यक्रम के बाद भी, भारत विश्व में बाल-कुपोषण के संदर्भ में निम्नतम स्तर वाले देशों में शामिल है।

1975 से ही भारत में समन्वित बाल विकास जैसा वृहत् स्तरीय व बहुआयामी कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किंतु इसके बावजूद आज भी हम कुपोषण के मामले में निम्नतम पायदान पर आते हैं। वस्तुतः कुपोषण का यह परिणाम, तमाम अन्य कारकों के सम्मिलित प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है —

- ① अधिकांश कुपोषण बिहार, उत्तर प्रदेश, वंगाल के गरीब तबकों में प्रसारित है।
- ② महाराष्ट्र व महेश प्रवेश का जनजातीय वर्ग, जागरुकता है

अभाव के कारण आज भी कुपोषण है।

(11) आशिक्षित वर्ग में कुपोषण की स्थिति अधिक देखने को मिलती है।

(12) राष्ट्रीय परिवार सतियर्ष संवेदन से भी स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक समय के ही पिछड़े व गरीबी इलाकों में कुपोषण की स्थिति बुराव है।

(13) पश्चिमी राज्यों में लैंगिक असमानता का भाव कन्याओं में कुपोषण को जन्म देता है।

(14) पोषणकारक कार्यक्रमों की जागरूकता का अभाव भी कुपोषण को तनास रखने वाला सिद्ध हुआ है।

निष्कर्ष - स्पष्टतः उच्च सामाजिक आर्थिक कारणों की

पीठिका पर ही कुपोषण का जन्म
होता है, अतः इसके निराकरण
के लिए भी समन्वित नीति आवश्यक
है।

20. Autonomous District Councils (ADCs) based on the Sixth Schedule of the Constitution of India are described as 'State in miniature'. Elaborate. Also, critically evaluate the functioning of ADCs over the years.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पर आधारित स्वायत्त जिला परिषद (ए.डी.सी.) को 'लघु रूप में एक राज्य' के रूप में वर्णित किया जाता है। व्याख्या करें। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों के दौरान ए.डी.सी. की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

Don't write
anything this
margin
(इस भाग में
कुछ ना लिखें)